

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) to (d) The Government of India appointed a Commission under the chairmanship of Justice J. L. Kapur on 8th January 1965 with the following terms of reference :

(i) to inquire into the circumstances which have brought about the exodus of minorities from East Pakistan into India, with special reference to movements since January, 1964 ;

(ii) to assess the nature and magnitude of the exodus and of the problems created thereby ; and

(iii) to suggest remedial measures, if any, for the prevention of the recurrence of such a situation.

The Commission submitted its report to the Government on 16th June 1966. Government do not propose to place a copy of the report on the Table of the House.]

#### ‡IDENTITY CARDS FOR PEOPLE LIVING IN AND AROUND AMRITSAR

267. SHRI M. ASAD MADANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether it is a fact that people living in and around Amritsar along the border areas have been directed to keep identity cards with them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : No, Sir.

#### §BENEFITS TO INTER-CASTE MARRIED COUPLES

340. SHRI THILLAI VILLALAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to reserve posts for the inter-caste married couples in Central Services ; and

(b) the steps proposed to be taken to create incentive to have inter-caste marriages ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : (a) No, Sir.

(b) The Government have no scheme under consideration in this regard.

#### §LAW REGARDING CONTEMPT OF COURT

348. SHRI K. SUNDARAM :

SHRI CHITTA BASU :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have recently received any representation for clearly defining the law regarding contempt of Court ; and

(b) if so, the reaction of Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government has seen some press reports on the subject ;

(b) Government have already introduced a Bill for revising the existing law of contempt.

12 NOON

#### CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED REFUSAL OF GOVERNMENT TO ACCEPT THE DEMANDS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN UTTAR PRADESH AND RELATED MATTERS

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की जायज मांगों को स्वीकार करने के बारे में सरकार की कथित अस्वीकृति और राज्य सचिवालय, लखनऊ के बाहर शांतिपूर्वक धरना देने वाले 400 अध्यापकों की गिरफ्तारी और अध्यापकों की जायज मांगों को स्वीकार करने की बजाय उनका दमन करने की सरकार की नीतियों की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं।

†[ ] English translation.

†Transferred from the 19th November, 1968.

Transferred from the 22nd November, 1968.

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत  
श्री आजाद) : श्रीमन्, स्कूल अध्यापकों के  
वेतन-मान सुधारने के प्रश्न पर शिक्षा आयोग  
ने मोटे तौर पर जो सिफारिशें की हैं, उसके  
अनुसार भारत सरकार, राज्य सरकारों पर  
बराबर जोर दे रही है। इस विषय में उसने  
उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बातचीत  
की है।

10 सितम्बर, 1968 के अपने पत्र में  
माध्यमिक शिक्षक संघ, लखनऊ के अध्यक्ष ने  
निम्नलिखित चार मांगों सरकार के सामने  
प्रस्तुत की थी :—

(1) जिन स्कूलों में अध्यापकों के वेतन  
बकाया रहते हैं उनकी अदायगी के लिए  
तत्काल कदम उठाए जाएं;

(2) सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों  
के वेतन सरकारी खजाने के जरिये वितरित  
किए जाएं;

(3) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा  
हुआ दिया गया महंगाई भत्ता,  
गैर-सरकारी सहायता-प्राप्त उच्च माध्यमिक  
स्कूलों के अध्यापकों को भी दिया जाए;  
और

(4) प्राइवेट स्कूलों में गैर-शिक्षण स्टाफ  
के वेतनमानों में सुधार किया जाए  
और उनके महंगाई भत्ते में भी समानता  
होनी चाहिए।

इन मांगों की ओर राज्य सरकार का ध्यान  
आकर्षित किया गया था और उसने निम्न-  
लिखित उत्तर भेजा है :

(1) जब कभी भी कोई मामला उसके  
ध्यान में लाया जाता है, राज्य सरकार जिला  
के अधिकारियों के जरिए यह सुनिश्चित करने  
के लिए कदम उठा रही है कि जहां कहीं भी  
आवश्यक हो, संबंधित संस्थाओं के अनुरक्षण  
अनुदानों में से कटौतियां करके वेतनों के  
बकाया अदा कर दिए जाएं।

(2) प्रशासकीय और वित्तीय कारणों  
से, राज्य सरकार इस मांग को मानने की  
स्थिति में नहीं है कि गैर-सरकारी अध्यापकों  
को वेतन सरकारी खजाने के जरिए दिए  
जाएं।

(3) और (4) बाकी की दो मांगें  
सरकार के विचाराधीन हैं।

इस महीने की 25 तारीख को, अध्यापकों  
का एक बहुत बड़ा दल सचिवालय आया  
और उन्होंने सभी 9 दरवाजों को घेर लिया।  
तथा भवनों में किसी को भी प्रवेश नहीं  
करने दिया। उन्होंने नारे भी लगाए। जब  
सचिवालय में कर्मचारियों को जाने देने के  
लिए उनको राजी करने के सभी प्रयत्न  
असफल रहे तो मजबूरन पुलिस को बुलाना  
पड़ा और जब और अनुनय-विनय का भी  
कोई असर नहीं हुआ, तो अध्यापकों की  
उस स्थान से दूर ले जाया गया और कुछ के  
अलावा बाकी सबको छोड़ दिया गया।  
26 तारीख की सुबह अध्यापक फिर  
समूहों में सचिवालय आए और पिछले दिन  
की घटनाओं को दोहराया गया। अब तक  
कुल 79 गिरफ्तारियां की गई हैं।

राज्य सरकार ने अध्यापकों के प्रति कोई  
दमनदारी नीति नहीं अपनाई है। जो भी  
साधन उपलब्ध है, उनके अनुसार, सरकार  
अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है।

श्री राजनारायण : मैं सरकार से यह जानना  
चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व सरकार  
ने 1947 में प्रिन्सिपल, ट्रेन्ड ग्रेजुएट, अन्डर ग्रेजु-  
एट टीचर्स को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों  
में समान वेतन देने का सिद्धांत कबूल किया  
था। इसके अनुसार 250 रु० पाता था  
प्रिन्सिपल सरकारी स्कूल का और 250  
रु० पाता था गैर सरकारी का; ट्रेन्ड  
ग्रेजुएट 120 रु० मासिक पाता था सरकारी  
का और 120 रु० ही पाता था और गैर सरकारी  
का, अन्डरग्रेजुएट 75 रु० पाता था सरकारी  
स्कूलों का और 75 रु० ही पाता था गैर

[श्री० राजनारायण]

सरकारी का। यह सन् 1947 में श्रीमन् उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू शुरू में किया था जब राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय संग्राम के कुछ आदर्श बाकी थे, तब उनमें कुछ एक सिद्धांत रहा कि न्यूनतम तनख्वाह कम से कम समान हो। मगर 1965 जब आया, तो सब में असमानता हो गई। अब सरकारी प्रिन्सिपल पाते हैं 300 रु० प्रतिमास न्यूनतम और गैर सरकारी पाते हैं 250 रु० प्रति मास। ट्रेन्ड गैजुएट पाता है 150 रु० प्रति मास सरकारी में, और गैर सरकारी में वही पाता है 130 रु० प्रति मास। अंडर गैजुएट पाता है 75 रु० प्रति मास और यहाँ पर भी 75 रु० प्रति मास मगर आगे चलकर ग्रेड कम हो गया है। तो मैं यह जानना चाहूँगा जो सिद्धांत 1947 में अपनाया गया उस सिद्धांत को इस समय धड़ेल्ले से सरकार तोड़ रही है, ऐसा क्यों ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री माहेश्वर पांडे और महामंत्री श्री मधुसूदन नारायण लालजी ने राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति की संसदीय सलाहकार समिति को, जिसका एक सदस्य मैं भी श्रीमन्, आपकी ओर से हूँ, एक स्मरणपत्र दिया था, क्या उसकी जानकारी सरकार को है, जिस स्मरणपत्र में उन्होंने यह लिखा है कि 12 महीने से लेकर 25 महीने का वेतन बहुत से शिक्षकों और कर्मचारियों का बाकी है। जब 12 से 25 महीने का वेतन बाकी है तब छोटी तनख्वाह पाने वाले अध्यापक क्या खायेगे, कैसे जीवन निर्वाह करेंगे, और उसी ज्ञापन में उन्होंने दिया है, राज्य में ऐसे भी विद्यालय हैं जो 1963 से महगाई भत्ता सरकार से लेते रहे हैं पर शिक्षकों को वह मिला नहीं है। सरकार से तो महगाई भत्ता ले लिया मैंने-जिग कमेटी ने मगर शिक्षकों को एक पैसा महगाई भत्ते का दिया नहीं। श्रीमन् 1963 से केवल बलिया में वेतन का 11 लाख

रु० और वेतन और महगाई भत्ते को मिला कर 45 लाख रु० प्रबन्धकों पर शिक्षकों के वेतन का बाकी है और पूरे राज्य में 5 करोड़ रु० शिक्षकों का प्रबन्धकों पर बाकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो इस समय अभागी बेचारा गरीब अध्यापक है उनको 5 करोड़ बकाया रुपये को दिलाने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और उसी ज्ञापन में क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षकों ने एक आकड़ा भी प्रस्तुत किया है जिसमें श्रीमन्, विद्यालयों की संख्या 3000 है, शिक्षकों की संख्या 60,000 है लिपिकों की संख्या 5000 है, अन्य कर्मचारियों की संख्या 21,000 है, कुल 86,000 है। और आय व्यय में कितना मिलता है अनुदान ? सरकारी बजट के अनुसार 9 करोड़ 68 लाख, शुल्क 9 करोड़ 5 लाख कुल 18 करोड़ 73 लाख हुआ, और जो वेतन पर "एड् हाक" प्रासंगिक, लिपिक वर्ग व अन्य अन्य कर्मचारियों पर खर्च होता है वह व्यय 16 करोड़ 11 लाख है। अब देखा जाय तमाशा, 18 करोड़ 73 लाख को आय हुई और खर्च हो रहा है 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2 करोड़ 62 लाख जो शिक्षकों को, सरकार कहती है, दे रही है उसमें से भी वचेगा। जनरल बजट में खर्च किया जा रहा है, यह एक विचित्र पहेली है कांग्रेसी राज्य को। तो इसको हटाने के लिये सरकार क्या वदम उठा रही है और अब तक क्या उठाया है ?

श्रीमन्, तीसरा प्रश्न हमरा यह है कि अगस्त 1967 को जब वहाँ पर सविद की सरकार थी तो उसने महगाई भत्ते में सरकारी और गैर सरकारी असमानता को मिटा दिया था और महगाई भत्ता केन्द्र के बराबर कर दिया था। जब वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन हुआ तो सविद की सरकार ने उन्हें जो सही-लियते दी थी उनको हटा लिया गया। इस सबध में उन्होंने माग की है कि जो महगाई भत्ते के सबध में जो विद्यमान असमानता है उसे दूर किया जाय और गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षकों और सरकारी

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को समान महंगाई भत्ता तथा वेतन दिया जाय। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपति के शासन में उसे भी समाप्त कर दिया गया है। शिक्षकों को जो सहुलियत दी गई थी, उनके साथ जो इंसाफ किया गया है, उसको भी राष्ट्रपति के शासन ने छीन लिया है। राष्ट्रपति शासन के माने केन्द्रीय शासन है और केन्द्रीय शासन के माने कांग्रेस का शासन है। इस समय वहां पर केन्द्र द्वारा शासन चलाया जा रहा है जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी नेहरू प्रधान मंत्री है और श्री चव्हाण घर मंत्री है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अविलम्ब जो इसके पहले संविद की सरकार ने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था को तत्काल जारी कराया जाय क्योंकि राष्ट्रपति के शासन पर यह एक महा कलंक है।

एक बात हमको यह कहनी है कि उनकी चार मांगें नहीं बल्कि पांच मांगें हैं। जो स्मृति पत्र सलाहकार समिति को दिया गया था उसकी एक प्रति हमारे पास विद्यमान है। उनकी मांग इस प्रकार से है। वेतन वितरण की व्यवस्था राज्य कोषगार से की जाय। 2. कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत वेतन मान तथा केन्द्रीय महगायी भत्ता दिया जाय। 3. सरकारी तथा गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा महगायी भत्ता आदि सम्बन्धी असमानता तुरन्त दूर की जाय। 4. जूनियर कक्षाये पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों के हेतु कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व स्नातक वेतन क्रम अविलम्ब प्रदान किया जाय। 5. लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके समकक्ष राज्य कर्मचारियों के समान वेतन तथा महगायी भत्ता दिया जाय। ये उनकी मांगें हैं। इसलिए कोई भी सभ्य सरकार, जनतंत्रीय 21 साल आजादी पाने के बाद भी शिक्षकों के साथ असमानतापूर्ण व्यवहार करे। यह बड़े शर्म की बात है कि शिक्षक

अपनी मांगों के लिए, रोटी के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं, प्रधान मंत्री के पास जाते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, सचिवालय में जाते हैं, तो उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आज क्या हो रहा है? 400 अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर ठण्डा चलाया गया है। इसमें से 19 को जेल भेज दिया गया और बाकी लोगों को दिन भर बिठलाकर छोड़ दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके प्रति जो यह व्यवहार किया गया है वह किस कानून के मुताबिक और किस संविधान के मुताबिक किया गया है।

अभी अभी जब हम आ रहे थे तो हमें माध्यमिक शिक्षकों के चेयरमैन का तार मिला जिसमें उन्होंने लिखा है कि 300 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें से 70 को जेल भेज दिया गया और बाकी सब को छोड़ दिया गया। आज भी सचिवालय घिरा हुआ है और 30 तारीख तक लगातार वहां पर घेराव चलता रहेगा। सारे राज्य के अध्यापक एक निश्चित राशि के मुताबिक सचिवालय में घेराव के लिए आ रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार और इस सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूँ जो जनतंत्र, शोभा और श्रुति का नाम लेते हैं कि क्या अध्यापकों पर डंडा चलाना अध्यापकों को घसीटना, उनके शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चलाना उनको पुलिस द्वारा बलपूर्वक 4/4 और 10/10 मील तक घसीट कर ले जाना और फिर वहां पर छोड़ देना, इस तरह की बातें क्या किसी सभ्य सरकार के लिए शोभनीय है? प्रधान मंत्री साहिबा आई और एक बात कह कर चली गई। उनको इसका पता नहीं है।

श्री श्रीम मेहता (जम्मू और काश्मीर):  
एजुकेशन मिनिस्टर हैं।

श्री राजनारायण : एजुकेशन मिनिस्टर साहब तो गरीब हैं।

MR. CHAIRMAN : You have taken 15 minutes.

श्री राजनारायण : तो मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जहाँ तक एजुकेशन मिनिस्टर का सवाल है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर साहब स्वतंत्रता से चले अपने ढंग से चले और उस पर बाधा न डाली जाय तो मसले का हल निकल सकता है। मुझे मालूम है कि अगर काशी विश्वविद्यालय के लिए भी एजुकेशन मिनिस्टर साहब को स्वतंत्र हाथ मिला होता तो अब तक वहाँ का मसला हल हो गया होता। मगर उसमें आते हैं श्री मोरारजी देसाई, जो वित्त मंत्री जी हैं और श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी, जो प्रधान मंत्री हैं।

MR. CHAIRMAN : You have put your case, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : तो मेरा यह कहना है कि अविलम्ब वहाँ पर पुलिस की ज्यादाती बंद की जानी चाहिये और शिक्षकों की जो जायज मांग है, उसको पूरा किया जाना चाहिये। उन लोगों पर लाठी, डण्डा और गोली नहीं चलाया जाना चाहिये। इन सब चीज की व्यवस्था शिक्षा मंत्री जी को अविलम्ब करनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं एक मिनट में अपनी बात कह देता हूँ। 1965 में अध्यापकों की हड़ताल चल रही थी और जिसकी वजह से हमको भी हड़ताल करनी पड़ी। उस समय चागला साहब यहाँ पर शिक्षा मंत्री थे। चागला साहब ने कबूल किया था तब . . .

MR. CHAIRMAN : You have to ask clarifications only, nothing else.

श्री राजनारायण : जब चागला साहब ने कबूल किया था तब हमारी भूख हड़ताल टूटी। उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि केन्द्र आघा रूपया राज्यों को देगी। यह केन्द्रीय सरकार का बचन है, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री

श्री चागला साहब का बचन है। मैं चाहता हूँ कि वर्तमान शिक्षा मंत्री जी श्री त्रिगुण सेन, जिनमें तीन गुण हैं, उस बचन को पूरा करें कि केन्द्र अपना आधा हिस्सा दे दे चाहे राज्य को उस आधे हिस्से को पूरा करने की क्षमता हो या न हो। ऐसा मेरा कहना है।

श्री भागवत झा आजाद : सभापति महोदय, उनका पहला प्रश्न है कि 1947 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिद्धान्त रूप में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के वेतन मान की वृद्धि को स्वीकार किया था और अब वह उसको तोड़ रही है। मैं इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस संबंध में वास्तव में क्या प्रतिज्ञा की थी और किस को तोड़ रही है, इस बारे में कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

दूसरी बात जो उन्होंने कही वह यह कही और जो वास्तव में सही है कि शिक्षक संघ के जो स्मृति पत्र दिया था उसमें यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत से शिक्षकों का वेतन अभी तक बाकी है। इस संबंध में मैंने अपने जवाब में बतलाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बतलाया है कि जहाँ जहाँ ऐसी बातें उनके नजर में आ रही हैं, उसे दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बल्कि जहाँ उन्हें इस तरह की बातें नजर आ रही हैं वहाँ की 50 प्रतिशत सुरक्षित ग्रांटको रोककर शिक्षकों को पेमेंट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तीसरा उन्होंने आंकड़े दिये हैं 18 करोड़ और 16 करोड़ के। यह थीसिस की बात मुझे देखनी पड़ेगी और तब ही इस संबंध में कुछ कह सकूंगा। परन्तु एक बात कहना चाहता हूँ कि 1 अगस्त 1967 को सरकार ने जो महंगाई भत्ता दिया था, संविद की सरकार ने दिया, उसको बंद नहीं किया गया है। यह प्रश्न उन्होंने पूछा था। यह भत्ता अब भी शिक्षकों को मिल रहा है। प्रश्न यह है कि 1 अगस्त 1968 को सरकारी

कर्मचारियों को फिर महंगाई भत्ता दिया गया जो शिक्षकों को नहीं मिल रहा है इसलिए यह कहना कि जो 1 अगस्त 1967 को महंगाई भत्ता दिया गया था वह वापस ले लिया गया है, यह सही है। यह बात सही नहीं है कि 1 अगस्त 1968 को वहाँ की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया था, वह शिक्षकों को नहीं मिल रहा है।

श्री राजनारायण : क्यों नहीं ?

श्री भागवत झा आजाद : सरकार ने 1 अगस्त 1968 को जो महंगाई भत्ता दिया था वह एड हाक बेसिस पर दिया था और उन्होंने कहा था कि सिद्धान्त : हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए उन्हें 1 अगस्त 1968 को महंगाई भत्ता नहीं दिया।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन मान का प्रश्न है, यह बात हम स्वीकार करते हैं, आज भी स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का वेतन मान सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में कम है। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका वेतन मान बढ़ाया जाय हमने जैसे पूर्व कहा, आज भी कह रहा हूँ कि उनका वेतन मान बढ़ाने का प्रश्न पूर्णतः राज्य सरकारों के अन्तर्गत है। मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया। सिर्फ एक उदाहरण कि वहाँ के दो लाख प्राइमरी शिक्षकों को कम से कम वेतन मान देने के लिये 7 करोड़ रुपया चाहिये। हम इस बात की आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों बाद जब वहाँ की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार वहाँ आएगी तो यदि वह एक बहुत बड़े स्केल पर वित्तीय साधन जुटा सके तभी यह वतन मान शिक्षकों मिल पायेगा।

SHRI G. A. APPAN (Madras) : Sir . . .

MR. CHAIRMAN : How can you come ? There are only 3 names.

SHRI G. A. APPAN : I have my right.

MR. CHAIRMAN : You have subject to my dictation.

श्री दत्तोपंत ठेंगडी (उत्तर प्रदेश) : सर, इस मामले में एक अभूतपूर्व या अजीब कदम सरकार द्वारा उठाया गया कि संविद सरकार ने जो आश्वासन दिये थे और जिन के अनुसार पेमेंट भी शुरू हो गया था, माने जो दी हुई चीज थी उस को वापस लिया गया। यह एक अभूतपूर्व कदम है। इस के विषय में क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को यह बात मालूम है। उन के बारे में मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। यह एक आर्थिक प्रश्न नहीं है। आने वाले चुनाव का खयाल रखते हुए एक पोलिटिकल विडिक्टवनेस, राजनैतिक विडिक्टवनेस वहाँ चल रही है और इस तरह के कुछ पेपर्स मेरे पास हैं। जिन में I seek your permission to place the papers on the Table of the House. यह स्पष्ट कहा गया है कि चूकि "There was resistance on the part of the teachers to give contributions to the election fund". और इस दृष्टि से मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN : Ask for clarifications.

SHRI D. THENGARI : I will not say anything irrelevant. एक चीज मैं यह पढ़ कर बताता हूँ। और I seek your permission to place it on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : Unless I go through it and carefully consider it I shall not allow you to lay it on the Table.

SHRI D. THENGARI : I should be allowed to read it.

MR. CHAIRMAN : You can say about it. You need not read it. Give a gist of it.

SHRI D. THENGARI : Here are certain applications to Shrimati Indira

[Shri D. Thengari]

Gandhi through the President of the Akil Bharateeya Adhyapak Mandal, Shri Hiralal Patwari, stating that from their pay forcibly some contributions were taken for the Congress election fund. These are the papers I am having. . .

SHRI A. P. JAIN (Uttar Pradesh) : No, Sir . . .

MR. CHAIRMAN : You may mention it only.

SHRI D. THENGARI : I want to know whether the Government is aware of it and, if not, will the Government make an enquiry? Secondly may I know whether the Government is prepared to assure that in view of the fact that the Centre is running the show in UP, all the assurances or instructions given by the Centre to the different State Governments will be implemented at least in UP which is directly under the Centre to day?

श्री भागवत सा आजाद : सभापति महोदय, यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में राजनैतिक विडिक्टवनेस से काम किया जा रहा है शिक्षकों के प्रति। जो सहानुभूति उस तरफ के माननीय सदस्यगण की शिक्षकों के प्रति है वही हम लोगों की भी है। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की राजनीतिक विडिक्टवनेस शिक्षकों के प्रति न बर्ती जाय, न इस समय और न ही भविष्य में। जैसा आप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के वेतन से जबरदस्ती कुछ पैसे काट लिये गये हैं उसकी खबर है या नहीं, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि इस की खबर सरकार को है और इस संबंध में हम ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पुछवाया। उन्होंने कहा कि यह उन की नजर में आया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि यह रकम जबरदस्ती उन के वेतन से कांग्रेस पार्टी के एलेक्शन फंड के लिये काटी गयी है। उन्होंने यह कहा कि यह उन की नजर में आया है और उस पर इक्वायरी के आर्डर हो चुके हैं और इक्वायरी हो रही है।

जहां तक आप ने कहा कि चूंकि वहां पर राज्यपाल का केन्द्रीय शासन है इस लिये जितनी बातें भूत में हुई हैं वे तुरन्त कार्यान्वित कर दी जायें तो मैंने उदाहरण के लिये सदन को बताया है कि वेतन मान के संबंध में सिर्फ कम से कम वेतन देने में प्राइमरी शिक्षकों के लिये 7 करोड़ रुपया चाहिये। कोई चुनी हुई सरकार ही इतने बड़े वित्तीय साधन जमा कर सकती है और उसकी प्रतीक्षा हमें करनी चाहिये।

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : It appears from the news in the papers that not only the secondary teachers of U. P. are continuing the struggle on the basis of their demands but other sectors of the teaching community, namely, the college teachers and also the primary teachers, are also preparing for a big movement. As a matter of fact the entire teaching community of U. P. is in ferment to-day. He has come with a stock reply that all those matters will be dealt with by the popular Government which is likely to come up after a few months. In this connection I may say that this stock reply is not going to satisfy the teaching community of U. P. to-day. Having this in view, may I ask whether the Government propose to take any other concrete steps to satisfy the teaching community of U. P. today?

Secondly, one of the very simple demands is that the payment to the teachers is to be made through the treasury because, as Mr. Rajnarain mentioned, there are certain reasons—into which I do not like to go because that is not good to discuss—for which the teachers are not being paid although the funds are there with the administration or the District Boards. The payment is not being made for reasons known to them and likely to be known to the Government. As a matter of fact I know that the former Education Minister of U. P. is credited to have told that he did agree or he wanted to make arrangements for the payment of teachers through the treasury. May I know what stands in the way of the Government making arrangements for the payment of teachers through the treasury because it does not involve any additional expenditure and it is merely an administrative step to be taken by the Government?

Thirdly, is it not the principle of the Government of India to generally implement the policies laid down by the earlier popular Governments? This is contrary to the traditional practice of the Centre where the Presidential take-over is there to change or reverse the policy in the matter of running the administration in those States which have been taken over by the President. If it is so, may I know whether in the case of U. P. there has been a reversal of the process?

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** If I have given any such impression to the House that we are to be very strong with the teachers, I would like to contradict that. All that I said was that we have sympathy for the teachers but our sympathy should mean that we must have the resources. Under the Constitution, it is for the State Government to do that. We are trying to persuade them. As a matter of fact the Central assistance to the State Government is in the form of committed expenditure through the Finance Commission. Therefore it is being given in a different shape. We are persuading the State Government. We have said that the salary to the teachers in U. P. is the lowest in the country but it requires huge finances for which additional resources are to be raised which cannot be done by the Governor's Administration but can only be done by a popular Government and therefore we have to wait for that. Regarding payment through treasury, it is not a simple question of payment through the treasury. The teachers say that the Government should take the responsibility for paying the whole salary of teachers except a part that is to come through tuition fees from the managements. It is a question of entirely changing the grants-in-aid system. They say that a certain portion of the tuition fee from the students should be given to the Government, and the rest should be paid by the Government. It may be realised that, if I do this, it will take one crore of rupees in the first year to pay, and in every year following it will go on increasing. Now this is not possible, as the State Government has said. It is not merely a question of paying it to the treasury; it is a question of changing the entire grants-in-aid system, which means that the U. P. Government has to begin with one crore of rupees. Therefore it is not so simple as that. So I would say that it is not possible for us to do that. Again I

would request—without conceding the impression that the hon. Member has, namely, that we have no sympathy—that we wait for the popular Government to come, because the resources required are so vast that neither the Centre can meet it, nor is the Governor in a position to do it.

**SHRI G. A. APPAN :** May I know from the hon. Minister, Sir, if it is a fact that there is no compulsory education in that State at least up to the 8th standard if not up to the matriculation standard, whereas in most of the other States they have implemented the scheme of free and compulsory education adumbrated in the Directive Principles of State Policy embodied in the Constitution long ago? Is it not a fact that the teachers have not been paid their arrears for one year or more? If so, how can the teachers do any work at all for the educational improvement of the poor children, whose care is vested in the poor teachers to train them and who will have to train the progeny and the present children population in the country?

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** Sir, I have replied to the latter part of the question. To reply to the first part of the question about compulsory education, it is true that the Directive Principle in the Constitution to have universal and free education within ten years has not been implemented fully in four States of India—and U. P. is one.

**श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) :** सभापति महोदय, क्या मैं शिक्षा राज्य मंत्री से यह जान सकता हूँ कि यह क्या सत्य है कि संविद सरकार ने जिस का गुणगान अभी किया जा रहा है एक और साधनों को समाप्त किया और दूसरी तरफ आश्वासन दिये जिन को वे समझते थे कि उन्हें कभी पूरा नहीं करना है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि अध्यापकों की ऐसी दुरवस्था में भी आज का वर्तमान शासन जिस के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। क्या यह भी सही नहीं है कि राज्यपाल महोदय जो सांस्कृतिक कामों में ज्यादा अभिरुचि रखते हैं एक बड़ा सिनेमा



[श्री चन्द्र खेर]

हाउस बनाने के लिये राज्य के साधनों का उपयोग करने के लिये अप्रसर हैं और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है कि 20 लाख में 30 लाख रुपया किसी एक कलाकार को दिया जाय और वह एक लिंक आफ सिनेमाज़ सारे हिन्दुस्तान में बनाये। ऐसे राज्यपाल महोदय को केन्द्रीय सरकार क्या कोई सलाह दे सकती है कि सांस्कृतिक कामों में अध्यापकों की दुरवस्था की ओर ध्यान देना भी एक आवश्यक कदम है। और क्या सरकार यह जानती है कि राज्यपाल महोदय के इस प्रकार के कार्यों और अध्यापकों की इस प्रकार की दुर्दशा की वजह से और उनके साथ किये गये दुर्यवहार के कारण केन्द्रीय प्रशासन बदनाम होता है और उससे कांग्रेस पार्टी के लिये लोगों में बुरी भावनाएं पैदा होती हैं जिस के लिये कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है।

**श्री भागवत झा आजाद :** सभापति महोदय, पहला प्रश्न यह था कि क्या संविद सरकार ने आश्वासन बहुत दिये। यह बात सर्व-विदित है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिये हैं और क्या नहीं दिये हैं। जहां तक साधनों के एकत्रीकरण का प्रश्न था इस सम्बन्ध में वे पीछे रहे और यह बात भी सभी को मालूम है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वे लिंक आफ सिनेमा हाउसेज़ बना रहे हैं, इस सम्बन्ध में हमें कोई सूचना राज्यपाल के इस काम की नहीं है। जहां तक उनको सलाह देने की बात माननीय सदस्य ने कही कुछ महीने पूर्व जब मैं उत्तर प्रदेश में था तो वहां के शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल से मेरी भेंट हुई थी और उसी बाद मैं राज्यपाल महोदय से मिलने गया था और मैंने उनको सलाह दी थी कि अगर संभव हो तो इसके पूर्व कि चुनी हुई सरकार आये उनके लिये कुछ किया जाय। उसपर उन्होंने बतलाया कि अभी जो उन्होंने वेतनमान में परिवर्तन किया है जिस के अनुसार कुछ शिक्षकों को 110 रु०

और कुछ को 115 रु० मिलेंगे, उसी से उनको करीब तीन करोड़ और कुछ लाख अधिक रुपये खर्च करने पड़ेंगे और बाकी के लिये बहुत बड़े साधन की आवश्यकता है और इस लिये वे आशा कर रहे हैं कि जब नई सरकार आयेगी तब वह इस पर विचार करेगी।

**SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) :** Sir, every time we ask questions of this kind, the hon. Minister of Education and his deputy express profound sympathies for the teachers. We have been having this thing for the last sixteen years or so, but there has not been any material improvement. In view of these things may I know whether the Education Minister has taken it up with his Cabinet in the Finance Ministry for securing certain additional allocation of funds in order to help the States to meet the economic burden for increasing the emoluments of the teachers? It is impossible for the States under the existing budgetary conditions to meet perhaps the needed increment. Therefore it is the duty of the Centre to make the funds available. We find that the Finance Minister is ready to subsidise prohibition and similar other things. Why in this particular case, when the cause is so important and deserving should not the Government subsidise the State Governments in meeting the requirements of the teachers? Finally, Sir, I should also like to know what the Education Minister is doing with regard to the repeated allegations about the use of repressive measures against teachers. Sir, we are treated to all kinds of lectures by the Treasury Benches, and sometimes even by the Education Minister, but at the same time we find that teachers are subjected to police persecution, even lathi charge and imprisonment. We should like to know whether the Education Minister is taking any steps to put a stop to this kind of repressive measures against the teachers and professors.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** Sir, I deny the first part of the question where it was said that during these sixteen years there has been no improvement in the salary scales of teachers.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** I never said so; I said 'no material improvement'.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** If he will see the pay scales of the teachers in the country, he will find that it is not correct. Even in the last two months there has been an increase. . .

**SHRI BHUPESH GUPTA :** I said 'no material improvement'.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** The hon. Member may doubt our sympathies, but all we can say is that we honestly sympathise with them, and we are sincerely trying our best to see that the pay scales of teachers are raised. As a matter of fact, in the past year they had been raised.

Sir, about repressive measures against the teachers I should say that there could be no repressive measures against teachers. If he refers to the recent incidents in Lucknow on the 25th and 26th instant, I have submitted the answers in the written Statement. Two hundred teachers came and they blocked all the nine gates of the Secretariat and did not allow any person to enter it. All persuasive measures failed. Therefore they had to be taken away from there. Nineteen were put in prison. On the 26th again 200 teachers came.

(Interruptions)

I am not yielding. On the 26th again 200 teachers came. They did the same thing again, and they had to be removed. Sixty were put in prison. This is all that happened. We have not done anything else. We can never dream of any repressive measures against teachers.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Kindly listen. You ask him, Sir, what was the nature of the persuasive measures, who persuaded and when this police action followed. How long did the persuasion continue? It is absolutely misleading to say that they were persuasive measures. The Governor should have come and persuaded them. You allow the Police Superintendent and other people to go and do all kinds of things. Now, Sir, let him explain. I think the Education Minister, being an educationist, should have sufficient self-respect. He should feel as if he himself has been insulted, and the honour of every teacher should be regarded as his personal honour.

You get up, Dr. Triguna Sen. Why are you keeping quiet? Get up and say.

**THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) :** He is quite competent to answer.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Why the Education Minister should not speak?

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** It is not necessary.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** Sir, as I have said, we do feel about it. We have already repeatedly said that we are trying our best to persuade the State Governments to increase the pay scales but it depends upon their financial capacity. It is certainly not fair for him to say that, I am misleading the House. The hon. Member is misleading the House. Two hundred teachers came and blocked all the nine gates and they did not allow anybody to get in. Therefore they had to be removed. I am not misleading the House; the hon. Member is misleading the House.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Sir, how am I misleading the House? I am not answering questions. How am I misleading the House?

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** By saying that I am misleading the House.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** I am not answering questions. I am only seeking clarifications. It is possible that some of my questions may not suit you. How am I misleading the House?

**MR. CHAIRMAN :** It is all right.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Therefore I say the hon. Minister should not come here and say cock and bull stories.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** It is your privilege, not ours.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** Sir, what is he saying? Is he a Home Minister? Send him to the Home Ministry. I would not put up with this kind of thing. I say he was deliberately misleading the House when he suppressed certain material facts in regard to the manner in which the U. P. teachers have been treated.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** I have mentioned the facts as we have got from the State Government. We are not misleading the House in any way.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** They are not facts obtained by them through their own agencies.

**SHRI BHAGWAT JHA AZAD :** The State Government is our agency functioning under the Constitution.

**SHRI BHUPESH GUPTA :** I know the Constitution. You are giving facts supplied to you by the same people who are guilty of ill-treating the teachers.

**डा० भाई महावीर (दिल्ली) :** मंत्री महोदय ने यह कहा कि अध्यापकों को ट्रेजरी से वेतन मिल सके, इसके लिए एक बिल्कुल नई पद्धति प्रारम्भ करनी होगी और उसमें शायद एक करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा। मुझे एक बात इसमें स्पष्टीकरण के रूप में जानने की इच्छा है कि जिस समय सविद सरकार ने यह निर्णय किया था कि जो अनुदान वह सरकार शिक्षा संस्थाओं को देती थी वह अनुदान शिक्षा संस्थाओं को न देकर ट्रेजरी के द्वारा हर अध्यापक को वेतन मिल जाय, यदि यह व्यवस्था की जाती और जो सरकार अनुदान दे रही है उतनी ही रकम शिक्षा संस्थाओं के जो प्रबन्धक हैं उनके हाथ में देने के बजाय अध्यापकों को ट्रेजरी के द्वारा वेतन के रूप में दी जाती तो कौन सा नया खर्चा होता? इसके पीछे क्या यह कारण सही नहीं है कि कई लोग ऐसे थे जिनके चरित्र की हालत यह थी कि वे ऐसी शिक्षा संस्थाओं के नाम पर—जो एक्जिस्ट नहीं करती थी—अनुदान ले जाते थे, शेड्यूल कास्ट के नाम पर जो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी वे ले जाते थे? ये सब कुछ लोगों की जेब में जाती थी। जब कोई स्कूल का इन्स्पेक्शन करने आता था तो 10-20 बच्चे इकट्ठे करके एक नाटक कर दिया जाता था। एक-एक शहर में 5-7 ऐसे स्कूल चलाए जाते थे। कुछ लोग अपने राजनीतिक प्रभाव के कारण इस तरह का भ्रष्टाचार का खुला व्यापार करते थे। इस प्रकार की पद्धति मान लिए जाने से पूरा वेतन शिक्षक को नहीं मिल सकता लेकिन जितना प्रतिशत सरकार का अनुदान है उतना अगर ट्रेजरी में

सीधा मिल जाय तो उनकी कुछ समस्या हल हो सकती है, वरना अध्यापकों को 8-8, 10-10 महीने बिना वेतन के जीवन बिताना पड़ता है—भगवान जाने बिना वेतन के वे कैसे जीते हैं। इस विषय में मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ।

**श्री भगवत झा आजाद :** जैसा मैंने अभी कहा था, यह नई पद्धति की बात वास्तव में है। इतनी ही बात नहीं है कि शिक्षकों को वेतन ट्रेजरी के द्वारा दिया जाय, बल्कि शिक्षकों ने यह कहा कि हमें वेतन देने की सरकार अपने ऊपर पूरी जवाबदेही ले। जो लड़कों से आए उसका कुछ प्रतिशत ट्रेजरी में जमा किया जाय और उसके बाद हमको वेतन देने की सरकार का जवाबदेही ले। अभी तरीका यह है कि हम सम्पूर्ण एप्रुव्ड खर्च का 50 प्रतिशत देते हैं। इसके अनुसार ये सारे खर्चे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। जो मैंने एक करोड़ का उदाहरण दिया था वह यह था कि अगर इसको मान लिया जाय तो प्रथम वर्ष में ही उत्तर प्रदेश को एक करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि उनके लिए सम्भव नहीं, वे यह नहीं कर सकते।

**श्री अर्जुन अरोड़ा :** (उत्तर प्रदेश) : आपके लिए तो सम्भव है। आपके लिए एक करोड़ क्या है।

**श्री भगवत झा आजाद :** यह एक वर्ष की बात नहीं है, यह नान-रिकरिंग नहा है यह रिकरिंग एक्सपेंडीचर है और राज्य सरकार ने कहा है कि यह उनके लिए सम्भव नहीं है।

जहाँ तक दूसरा आपका सुझाव है वह सम्भव है। ऐसे उदाहरण तो मिल सकते हैं कि जहाँ हमने 50 प्रतिशत दिया और उसका सस्थाओं में गोलमाल हुआ। अगर ऐसा न होता तो यह स्थिति न होती। हम जानते हैं कि ऐसे

शिक्षक हैं जिन्हें तनखाह 12 महीने से, 25 महीने से नहीं मिली है और उन्होंने यह मेमोरेण्डम में लिखा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि यह सूचना मिलने पर वे यह कोशिश कर रहे हैं कि जो 50 परसेंट देते हैं उसको काट कर ऐसी संस्थाओं में तनखाह सीधे दे देंगे।

**PAPERS LAID ON THE TABLE**  
**APPROACH TO THE FOURTH FIVE YEAR PLAN**

**THE DEPUTY MINISTER (DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI) :** Sir, I beg to lay on the Table a copy of the document entitled “Approach to the Fourth Five Year Plan”. [Placed in Library. See No. LT-2333/68.]

**SECOND ANNUAL REPORT (1967-68) ON THE WORKING OF THE SEAMEN'S PROVIDENT FUND SCHEME, 1966**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) :** Sir, on behalf of Prof. V. K. R. V. Rao. I beg to lay on the Table a copy of the Second Annual Report on the working of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, for the year 1967-68. [Placed in Library. See No. LT-2331/68.]

**PUNJAB LOCAL AUTHORITIES (AIDED SCHOOLS) AMENDMENT ORDINANCE, 1968**

**THE MINISTER OF EDUCATION (DR. TRIGUNA SEN) :** Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Punjab Local Authorities (Aided Schools) Amendment Ordinance, 1968 (Ordinance No. 3 of 1968), under sub-clause (a) of clause (2) of article 213 of the Constitution (English and Hindi versions). [Placed in Library. See No. LT-2258/68.]

**BIHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 1968**

**DR. TRIGUNA SEN :** Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Bihar University (Amendment) Act, 1968 (President's Act No. 24 of 1968), under sub-section (3) of section 3 of the Bihar State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968 (English and Hindi versions). [Placed in Library. See No. LT-2132/68.]

**INTERIM REPORT (AUGUST, 1968) OF THE COMMISSION OF INQUIRY INTO THE FINANCES OF THE MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI AND THE NEW DELHI MUNICIPAL COMMITTEE**

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) :** Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Interim Report (August, 1968) of the Commission of Inquiry into the Finances of the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee. [Placed in Library. See No. LT-2260/68.]

**BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY (MEMBERS' EMOLUMENTS) AMENDMENT ACT, 1968.**

**SHRI K. S. RAMASWAMY :** Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Bengal Legislative Assembly (Members' Emoluments) Amendment Act, 1968 (President's Act No. 27 of 1968), under sub-section (3) of section 3 of the West Bengal State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1968. [Placed in Library. See No. LT-2259/68.]

**AMENDMENTS TO INDIAN POLICE SERVICE (FIXATION OF CADRE STRENGTH) REGULATIONS, 1955.**

**SHRI K. S. RAMASWAMY :** Sir, I also lay on the Table, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951, a copy of the Ministry of Home Affairs Notification G.S.R. No. 1983, dated the 4th November, 1968 (in English) publishing further amendments to the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955. [Placed in Library. See No. LT-2383/68.]

**RE DOCUMENT ENTITLED “APPROACH TO THE FOURTH FIVE YEAR PLAN”**

**SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa) :** Mr. Chairman, Sir, I am astonished that this Approach to the Fourth Five Year Plan has been laid today though it has been circulated already long ago.

[**THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair**]

Mr. Vice-Chairman, Sir, today the Prime Minister is laying on the Table of